भुंख्यं पोस्ट मास्टर जनरल डाक वरिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 हारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाकच्ययं की पूर्व अदायगी डाक हारा भेजे जाने के लिए अनुभत.



मान गंत्री जी उच्च त्रिक्षा विक्ष (एन्प मिश्रा) नंभ कार्या कारत जत कंटात जन किवास निकास मिशा उन्जी

# मध्यप्रदेश गजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, गुरुवार, दिगांक 3 जनवरी 2008-पाँप 13, शक 1929

## उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2008

आर. इ. 1016-सीसी-07-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना धुवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमॉक 17 सन् 2007) में वास 42 की उपधास (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदुद्वारा, निम्नलिखित निभग नवासी है, अमेरि:--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंश.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश निजी विस्वविद्यालय (स्माप्तना पूर्व संनालन) नियम,
   ० ॥ है.
  - (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की वारीख से प्रवृत्त होंगे.
  - 2. परिभाषाएं.--इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेशित न हो,--
    - (क) "अधिनियम" से अभिग्रेत है, सध्यप्रदेश निजी चिश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007);
    - (ख) "आ्योग" से अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित वितियामक आयोग;
    - (ग) "उच्च शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग;
    - (प) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत हूँ, अधिनियम के अधीन निगमित निजी विश्वविद्यालय;
    - (इ) "विनियम" से अभिप्रेत है, अभिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए विनियम;
    - (च) "प्रायोजी निकाय" से अभिप्रेत हैं, धाउ 2 के खण्ड (य क) में यथापरिभाषित प्रायोजी निकाय;
    - (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

- (ज) "कुलाध्यक्ष" सं अभिगत है, धारा ? के खण्ड (य इ) में चथापरिभाषित निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष;
- (अ) उन ''शब्दों तथा अभिन्यक्तियों'' का, जो प्रयुक्त किए गए हैं किन्। परिवाधित नहीं है वही अर्थ होण जो अधिनियम में उनके लिए दिया गथा है.
- 3. स्थापना हेतु आवेदनः—(1) निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उच्छुक प्रायोजी निकाय विनियामक आयोग को उपावंध "क" के रूप में विहित प्ररूप में निजी विश्वविद्यालय को स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा.
  - (2) आवेदन, प्रायोजी निकाय की ओर से लिखतों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होता.
- (3) अवंदन के साथ रुपये 1,00,000/- (इ. एक लाख मात्र) को आवंदन फीस "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग " के नाम पर रेखांकित एकाउंट पेयो ट्रापट के माध्यम से जो भोपाल में देय होगा, भेजन होगा.
  - (4) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवेदन के साथ एक परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी.
  - (5) प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सम्यक् आंगरबीकृति विनियामक आयोग द्वारा दी जाएगी.
- 4. विन्यास निधि की स्थापना.—(1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए इच्छुक प्रयोजी निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथाउपवंधित आश्रय पत्र प्राप्त होने के परचात् एक विन्यास निधि की स्थापना की जाएगी:
- (2) विन्यात निधि विहित प्ररूप उपाबंध "रा" में "मध्यप्रदेश निजी विश्वविदालय विनियामक आयोग" के नाम रेखांकित एकाउंट पेयो ड्राफ्ट जो भोपाल में देय होगा, के माध्यम से प्रायोजी निकाय के हस्ताक्षर से विनियामक आयोग की निधि में निश्चित को जाएगी तथा आयोग हात उपाबंध "न" में यथाविहित प्ररूप में प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जाती किया जाएगा.
- विन्यास निधि का विनियोजनः—(1) विनियामक आयोग, निथि की तस्तता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न: मापदण्डों को ध्यान में खित हुए, विन्यास निधि का किसी अनुसूचित चैंक में सावधि चमा के रूप में विनियोजन करेगा.
  - (2) विनियोजन से प्राप्त आगम का उपयोग आयोग अपने कृत्यों को करने दे लिए कर सकेगाः
- 6. विन्यास निधि से आय.—(1) विनियामक आयोग, प्रायोजी निकाय को विन्यास निधि की रकम पर व्याज का संदाय उस दर पर करेगा जिस पर विचाराधीन कालावधि के दौरान, भारतीय स्टेट चेंक, बचना चेंक छाते पर देव ब्याज दर पर देव होता है.
- (2) विन्यास निधि से प्राप्त आय किसी अनुसूचित वाणिज्यिक वैंक में एक संयुक्त यचत खाता खोलकर जमा की जावेगी. संयुक्त खाता प्रापाजी निकाय तथा "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा.
- (3) विन्यास निधि से आन को ऐसे किसी फारवार में विनिहित नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजी निकाय से संबंधित हो. इस आय का उपयोग निक्शविद्यालय-के गिकास के लिए ही किया जाएगा.
- 7. विन्यास निधि का समपदित किया आधा.—(1) आयोग या अन्यभा को एिमेर्ट पर यदि एज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रियति उत्तरन हो पई है कि उसे अधिनियह को भारा 40 या 11 के अपने में के अनुसार उसके उत्तरहाँ कृती का निर्वहन करना आवश्यक को गया है तो इस संबंध में वह संबंधित निर्वा कि कि किसी अंश या सम्पूर्ण निधि, यदि कोई हो, को समपहत करने के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु असे कारण बताओ सुगना जारी करेगा.
- (2) प्रायोगी निकाय विन्यास निर्मि को सम्पाद करने हेतु जारी किये गये कारण बताओ सूचना का नतर उसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर दंगी.

- (3) सूचना के प्राप्त होने के पश्चात्, यदि प्रायोजी निकाय विहित कालाविध के भीतर उत्तर देने में असफल रहती हैं, तो आयोग विन्यास निधि को समपहत करने को अनुज्ञा हेतु राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी तथा अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् विन्यास निधि समपहत हो जाएगी और सरकारों खजाने में शीर्ष 01- सामान्य शिक्षा (1) 0202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (103)—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा (6662) के अधीन जमा की जाएगी.
- 8. विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय का प्रतिदाय.—(1) यदि प्रायोजी निकाय अधिनियम के उपवंभों के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय को किन्हों कारणों से या ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है, से विद्यार्थित करने या यंद करने का प्रस्ताव करता है, तो प्रायोजी निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया कोई भी विद्यार्थी प्रतिकृत रूप से प्रभावित नहीं होगा. प्रायोजी निकाय विश्वविद्यालय में अध्ययनस्त् विद्यार्थियों के पार्यक्रम पूरा कराने, परीक्षा संचालन कराने तथा उसके आधार पर हपािंप, प्रत्रोपािंप, प्रमाण-पत्र आदि देने की संपूर्ण योजना भी विनियामक आयोग को प्रस्तुत करना होगी. विनियामक आयोग पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजी निकाय ने इस प्रकार प्रस्तुत को गई योजना के अनुसार विद्यार्थियों के प्रति अपनी जिम्मेदारों का निर्वाह कर लिया है, विनियामक आयोग प्रायोजी निकाय से इस आशय के शपथ-पत्र में कथित करते हुए प्रस्तुत करने को कहेगा कि प्रायोजी निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है. शपथ-पत्र प्राप्त होने पर विनियामक आयोग उसमें कथित तथ्यों का परीक्षण करेगा. संतुष्ट होने के पश्चात् कि शपथ-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं विनियामक आयोग विन्यास निधि तथा उस पर प्राप्त आय. आदि कोई हो, प्रायोजी निकाय को वापस करेगा.
- (2) विनियामक आयोग, प्रायोप्टी निकाय द्वारा प्रस्तुत किए गए शपद-पत्र का पंग्रेशण करेगा और शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों से असहमति की दशा में विनियामक आयोग विन्यास निधि और इससे प्राप्त आय के एंसे अंग्र को, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, सेककर रखेगा और उस समय तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि प्रायोजी निकाय को राज्य सरकार, विद्यार्थियें और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के प्रति अब कोई दायित्व नहीं है तथा निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनात् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षों का संचालन कराने तथा इनके आधार पर विद्यार्थियों को उपाधि, प्रत्रोपाधि, प्रमाण-एत्र आदि देने की व्यवस्था कर ती गई है:

परन्तु जहां अधिनियम की धारा 6 की उपधास (2) के उपबंधों के अनुसार आयाय-पत्र प्राप्त होते के परचात् निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के आशाय से किसी प्रायोजी निकाय ने कियास निधि की रकम विनियामक आयोग को निधि में निधित कर दो गई है तथा जहां विनियामक आयोग का इस बात से समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को वह उन लेखनड़ किए जाने वाले कारणों से अनुसोदित नहीं कर सकता और इसलिए इस स्थित में नहीं है कि राज्य-सरकार की यह सलाह दे कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिसृचना जारों की जाती है, तो विनियामक आयोग विन्यास निधि की रकम और उससे प्राप्त आयोजी निकाय यदि कोई हो, की प्रतिदाय करेगा,

- 9. फीस निक्षेप करने की प्रक्रिया.—(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय छात्रों से संगृहीत की गई फीस का वह अंश जो अधिनियम की धारा 12 के उपवेधों के अधीन देन हो रेखांकित एकाउन्टपेयी वैंक ड्राफ्ट/वैंकर चेंक, के माध्यम से जो "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से, भोपाल में देव हो, उपावंध "ध" में यथाविहत प्ररूप में जमा किया जाएगा.
- (2) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त फीस की एकम 15 दिन के भीतर कीपालय में शीर्ष "(01) सामान्य शिक्षा (1) 0202-शिक्षा, खैल, कला और संस्कृति, 103-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (0662) निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्तियाँ" के अधीन जगा करेगा और जिसकी जानकारी उपावंध "ढ" में यथाविहित प्ररूप में खी जाएगी और उसकी एक प्रदि प्रायोजी निकाय की पारेपित की जाएगी.
- (3) 'इन नियमों के उपनंधों के क्षपीन निज़ी जिरविद्यालयों से संगृहीत की गई और शासकीय कीपालय में निश्चेप की गई फीस तथा दाण्डिक व्याज, यदि कोई हो, जो अधिरोशित किया गया हो और शासकीय कीपालय में निश्चेप किया गया हो और इस संबंध में अन्य सुसंगत जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विनियामण आयोग के कार्यालय में रखी जाएगी. धाण्डिक व्याज की जानकारी उपालंध-इस में यथाविहित प्ररूप में रखी जाएगी.
- 10. विनियामक आयोग की स्थापना.—()) निजी विश्वविद्यालय वि.नेपाफा आयोग, अधिनयंग ऑर टसके अधीन बनाए गरे तथमों के उपयंधों के अनुसार, कृत्य करेणा
  - (2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियागक आयोग का गुरुयालय भीपाल में होपा.

- 11. विनियामक आयोग के कृत्य.—(1) विनियामक आयोग, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (8) में यथा अधिकथित सगस्त कृत्यों के साथ ही ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि वह अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में अधिकथित उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए उनित समझे.
- (2) निजी विश्विवद्यालयों तथा निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित कोई अन्य ऐसे मागले जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिग्ट किए जाएं.
- 12. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) आयोग अपने कृत्यों का पालन करने के लिए तथा आयोग के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियम के रूप में प्रक्रिया अधिकथित करेगा.
- (2) जब तक इन नियमों में यथाउपवंधित विनियम बन नहीं जाते तब दक्ष विनियमक आयोग, आयोग के प्रशासन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत कर सकेगा या ऐसी प्रक्रिया बना सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.
  - 13. कुलाध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण—(1) विनियामक अगयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा.
- (2) कुलाध्यक्ष, विनियामक आयोग के सामान्य नियंत्रण के उसके कर्तव्यों के पालन में विनियामक आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी कमाज, पत्र या जानकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए मांग सकेण तथा उस आधार पर लिखित आदेश द्वारा विनियामक आयोग को ऐसे निदेश देगा.
- (3) कुलाध्यस, कोई निदेश जारी करने के पूर्व आयोग के विचार मांग सकेगा तथा किसी मामले में कोई निदेश देने के पूर्व व्यक्तिश: प्रस्तुत करने के लिए भी निदेश दे सकेगा.
- 14. सभापति (चेयरमेन) की सेवा के निवंधन तथा शर्ते.—(1) (क) सभापति (चेयरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा.
- (ख) कोई व्यक्ति जो सभापति (चेयरमेन) या सदस्य के रूप में पद धारण करता है, आगामी एक और अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा.
- (ग) कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अधिनियम के अधीन स्थापित निजी दिखविद्यालय में या मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किया है, वह सभापित (चेयरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.
  - (2) कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु के पश्चात् पर धारण नहीं करेगा.
- (3) सभापति (चेयरगेन) या पूर्णकालिक सदस्य गा अंशकालिक सदस्य कुलाध्यक्ष को संबोधित किये गंये अपने हस्ताक्षर सहित लेख हारा अपना पद त्याग सकेंगा तथा वस त्याग-पत्र की प्रति उच्च शिक्षा विभाग को अग्रैषित करेगा.
- (4) यदि किसी संमयं किसी अंभ्यावेदन के आधार पर या अन्यथा कुलाध्यक्ष को गृह प्रतीत होता है कि राभापित (चेयरमेन) अथवा सदस्य ने,—
  - अधिनियम हात या उसके अधीन उस भर अधिरोधित किए गये किसी कर्तव्य के पालन में चुक ही है; या
  - (ख) विनियामक आयोग के हित गर प्रतिकृत प्रभाव डालने वाली सेति में कार्य किया है; या
  - (ग) वह वितियामक आयोग के कार्यों का प्रबंधन करने में अक्षम हैं, तो कुलाष्ट्रास, इस तथ्य के होते हुए भी कि टसके कार्यकाल को अविध समाप्त नहीं हुई है, लिखित में आदेश हारा उसमें कारणों को अभिलिखत करते हुए, संभापति (चैयरमेन)/सदस्य को ऐसी तारीख से, जैसे कि आदेश में विभिद्धिंद की जाए, पद त्याग देने की अपेक्षा कर सकेगा:

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया नाएण जब तक उन आधारों की विशिष्टियों पर, जिन पर सभापने (चेबरमेन) को, ऐसी कार्रवाई संसूचित की जाना प्रस्तावित है तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए

- (5) उपभारा (4) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, सभापति (चेयरवेन) या सदस्य उनका पद त्याग दिए गए समझे जाएंगे और सभापति (चेयरवेन) या सदस्य का पद रिका हो जाएगा.
- . (6) यदि सभाषीत (चेथरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर आकस्तिक सिक्त, चाहै मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्तियां नई नियुक्ति हास भरी जाएंगी:

परनु शिक्षा विभाग, कुलाध्यक्ष के परागर्श से सभावति (चेयरगेन) के पद की आकरिमक विकासि पूर्णकालिक सदस्य को दो मास से अनिधक के लिए नियुक्त करके भर सकेगा

- (7) सभापति (चेयरमेन) के छुट्टो, रूणता या फिसी अन्य कारण धे अनुपरिश्वत रहने वेः दौरान सभापति (चेयरमेन) द्वारा नामनिर्दिष्ट पूर्णकालिक सदस्य सभापति (चेयरमेन) के कृत्यों एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगा.
  - (8) सभापति (चेयरमेन)के साथ ही रामरत पूर्णकालिक सदस्यों का घट पूर्णकालिक स्था वैतनिक होगा.
  - (9) पूर्णकालिक सदस्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो सगापति (चेयरमेन) हारा समय-समय पर उन्हें साँपे वाएँ
- (10) सभापति (चेयरमेन) रूपये 25,000/- प्रतिमास का समेकित वेतन, पेंशन को विन्तर में तिए कित प्राप्त करेगा तथा उसे पेंशन के समतुल्य उपदान (ग्रेच्युटी) अनुद्रेय होगा :

परनु यदि सभापति (चेयरमेन को कोई पेंशन प्रास्त नहीं हो रही है तो वह विच विभाग द्वारा विहिन बेतन प्राप्त करने का इकटार होगा तथा उसे राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की समय-समय पर देव मंहगाई भन्ना एवं अन्य भन्ने अनुक्रेय होंगे.

- (11) सभापति (चेयरमेन) को विनियामक आयोग के मुख्यालय पर निःशुल्क साज-सन्दा युक्त आवास की पात्रण होगी सरकार द्वारा उपलब्ध वास सुविधा का रख-रखाव राज्य शासन द्वारा किए जाएगा,
- (12) सभापति (चेयरमेन) को एक ड्रायवर के साथ एक कार, कार्यालय में तथा उसके निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष उपलब्ध कराए जाएंगे.
- (13) पूर्णकालिक सदस्य, वित्त विभाग द्वारा यथाविहित समेकित वेतन, पेंशन तथा पेंशन को विचार में लिए बिना प्राप्त करेगा, पेंशन नेक समतुल्य उपादान भी उसे अनुदेख होगा:

परन्तु यदि किसी सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो तो वह वित्त विभाग हारा यथा विहित वेतन के साथ राज्य सरकार के प्रयम श्रेप्नी अधिकारी को अनुन्नेय मंहगाई भत्ता तथा अन्य भर्ते का पात्र होगा.

- (14) पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुक्रेय मकान माड़ा मता को पात्रवा होगी और इसके साय हो कार्यालय तथा उसके निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष की भी पात्रता होगो.
- (15) सभापवि (चेयरमेन) वथा पूर्णकालिक सदस्यों को एक कलैण्डर वर्ष में 13 दिन के आकृत्मिक अवकाश वया एक मास के अजिंव अवकाश/चिकित्सीय अवकाश की पात्रता होगी. सभापवि (चेयरमेन) तथा सूर्णकालिक सदस्यों के अवकाश का अभिलेख, विनिवासक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा.
- (16) विनियामक आयोग या सासन के कार्यों के लिए यात्रा के दौरान समापति (चेयरमेन) और पूर्णकालिक सदस्य, विरा विभाग द्वारा यथा विहित उहरने हेतु प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रथम त्रेणो अधिकांग्रियों को अनुद्रेय क्या लागू दर से यात्रा महागाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे.
- (17) सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकांतिक सदस्य ऐसे चिकित्सीय लागों को प्राप्त करने के इक्टरर होंने जैसे कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुत्रेय हों या उसके बदले ऐसे गेडि-क्लम के लिए हकदम होंने जैसा कि शिक्ष विभाग द्वारा विभिन्नित्वत किया जाए.
- (18) सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकालिक सदस्यों को चिनियामक आयोग से कोई सेवाजिस्चि सुविधाएँ जैसे पेंशन, उपादान या दोनों प्राप्त नहीं होंगे.

- (19) अंशकालिक सदस्य, रुप्ये :000/- (रुपये एक हजार) प्रतिदिन वैठक फीस तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए लागू दरों से यात्रा पता तथा इसके अतिरिक्त कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालाविध के लिए वित्त विभाग द्वारा विहित की गई उहरने के लिए प्रतिपृति का हकदार होगा.
- 15. आयोग का सम्मिलन.—(1) विनियामक आयोग ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा, जैसा कि सभापति (चेयरमेन) द्वारा विनिश्चय किया जाए.
- (2) सभापति (चेयरमेन) और उसकी अनुपस्थिति में आयोग के ज्येष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य आयोग के सिम्मलनों की अध्यक्षता करेंगे.
- (3) वे समस्त प्रश्न जो आयोग के किसी सम्मिलन में लाए जाएं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे:

परनु चिंद कोई भी संदाय नियुक्त नहीं हुआ है, तो राभापति (चैयरमेन) आख्याएक आदेश/संकृप पारित करके प्रश्नों को विनिश्चित करेगा:

परन्तु यह और कि थिद सिम्मलन में सभापित (चैगरमेन) और कैवल एक सदस्य दर्शांध्या है तो विनिश्चय सभापित (चेथरमेन) हारा अख्यापित आदेश/संकल्प जारी करके सिम्मलन में उपरिधत सदस्य के विचारों को अभिलिखित करने के पश्चातु किया जायेगा.

- (4) विनियामक आयोग के प्रत्येक सम्मिलिन का कार्यनृत आचोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा या सभापति (चेयरनेन) द्वारा इस प्रयोजन के लिए ग्राधिकृत किए गए आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा. कार्यवृत्त सभापति (चेयरमेन)/सरकार द्वारा ग्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा, विधिमान्य किया जायेगा तथा विनियामक आयोग के स्थागी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा.
- 16. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होंना.—आयोग द्वार किया गया कोई कार्य या उसके द्वारा की गई कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—
  - (क) आयोग में कोई रिक्ति है या आयोग के गठन में कोई ऋटि है: या
  - (ख) आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दृटि है; या
  - (ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, यदि वह भामले के गुणागुण को प्रभाधित नहीं करती है.
- 17. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्यायी सहयोजन.—(1) विनियामक आयोग स्वयं किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह वह आधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हों उपवंधों के क्रियन्वयन के लिये चाहता है, अपने साथ सहयोजित कर सकेगा.
- (2) उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा उपरोक्त किसीं भी प्रयोजन के लिए सहयाँजित किया गया कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा, उस प्रयोजन के लिए सुसंगत चर्चाओं में या आयोग के किसी सम्पिलन में जिसमें सुसंगत प्रयोजन आयोग के सम्मिलन के एजेण्डा मद के रूप में सम्मिलित हैं, में भाग लेने हेतु आपंत्रित किया जा सकेगा किंन्तु ऐसे व्यक्ति को आयोग के सम्मिलन में गत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा.
- (3) इन निवमों के प्रयोजन के लिए आयोग से सहयोजित व्यक्ति को रू. 1000/- (एक हजार रुपए) प्रविदिन बंटक फीन के रूप में तथा पात्रा भत्ता राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुजेय और लागू दर से दिया जाएगा.
- 18. विनियामक आयोग के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण.—(1) आयोग के समस्त आदेश तथा विनिश्चन, सिचन और सिचन की नियुक्ति होने तक सभापित (चैयरमेन) या. सभापित (चैयरमेन) द्वारा इस-निर्मित ग्राधिकृत किशी व्यक्ति के हन्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किये जानेंगे.
- (2) अयोग द्वारा जारी को गई समस्त अन्य लिखतें सिचय और सिचय की नियुक्ति होने तक सभापति (चेयरमेन) या सभापति (चेयरमेन) द्वारा इस निमित्त में इसी रीति में प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के इस्ताक्षर द्वारा अधिप्रभाणित की जाएंगी.

- 19. आयोग को भुगतान.—मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात् विनियामक आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का जो कि अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए जैसा कि आवश्यक समझ जाए, भुगतान करेगी.
- 20. विनियामक अयोग की निधि.—(1) विनियामक आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी समस्त राशियां जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, संदत्त की जाये तथा निजी महाविद्यालय/संस्थानों से संगृहीत/प्राप्त फीस तथा आयोग की समस्त प्राप्तियां (जिनमें विन्यास निधि, अतिरिक्त निधि तथा कोई भी ऐसी एशि सिम्मिलित होगी जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग को सौंपी जायें) निधि में रखी जाएंगी तथा आयोग को समस्त भुगतान उसी में से किए जाएंगे.
- (2) निधि का समस्त धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बेंक में जमा किया जाएगा.
- (3) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जो कि वह उच्चित समझे खर्च कर सकेगा और ऐसी पशियां विनियामक आयोग को निधि से संदेय व्यय के रूप में मानो जावेगी. निधि प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित करवाई जाएगी.
- 21. बजट.—विनियामक आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय गर जैसा कि आयोग विनिश्चित करे, आगामी विज्ञीय वर्ष के संबंध में, प्राक्कितित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए वजट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतिलिपियां, उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान सभा द्वारा सम्यक् विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित की जाएँगी और तत्पश्चात् विनियागक आयोग को समुचित राशियों के भुगतान को संपरीक्षित किया जाएगा तथा लेखाओं के अभिलेख नियम, 19 में चिहित किए गए अनुसार रही जाएंगे.
- 22. वार्षिक रिगोर्ट.—विनियामक आयोग प्रत्येक विज्ञीय वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग विनिश्चित करे, एक वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्तों वर्ष के दीमा से उसके क्रियाकलापों का सहीं और पूर्ण लेखा देते हुए तैयार करेगा तथा उसकी प्रतिलिय उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जाएगी. उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जाएगी. उच्च शिक्षा विभाग सभा के समक्ष रख्याएगा;
- 23. लेखा तथा संपरीक्षा.—(1) विनियागक आयोग अपने लेखा के गंबंध में ऐसी लेखा पुरवकें तथा अन्य लेखाओं को ऐसे प्रस्प में तथा ऐसी रीति में जैसा कि आयोग/राज्य सरकार अवधारित करें, रहावायेगा.
- (2) विनियामक आयोग अपनी वार्षिक लेखाओं को बंद करने के पश्चात् गथाशीप्र लेखाओं का विवरण ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी टारीटा तक तैयार करेगा, जैसा कि विनियामक आयोग अवधारित करे.
  - (3) विनियामक आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तरंत पश्चात की जायेगी;
- (4) विनियामक आयोग की लेखा जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित उच्च शिक्षा विभाग को अग्नेषित की जायेगी तथा उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा.
- 24. विनियापक आयोग के कर्मचारिकृद, उनकी वास-सुविधा तथा अन्य सुविधाएं.—(1) विनियापक आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा नियुक्त करेगा जो अधिनियम या उसके अधीन यनाए गए नियमों के अधीन उसके (आयोग) के कृत्यों के दक्षदापूर्ण निर्वहन को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो.
- (2) विनियामक आयोग उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विनिश्चय करेगा तथा उद्नुसार वास-सुविधा, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं जो वह आवश्यक समझे, अर्जित करेगा.
- 25. कठिनाई दूर करने की शक्ति. —यदि इन नियमों के उपवेधों को या ऐसे विषयों का जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आयोग की सिफारिश पर, राजपत्र में ऐसे आदेश के प्रकाशन द्वारा जो अधिनियम या इन नियमों के उपवेधों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई दूर कर सकेगी.
- 26. निरसन तथा च्यावृत्ति.—ऐसे समस्त नियम, आदेश परिमत्र तथा संकल्प, यदि कोई हों, जो इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत अने वाले निगयों के संवंध में एतट्ह्या तिएसा किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरमित नियम, आदंश, परिपत्र तथा संकल्प के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कर्तवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के ततस्थानी उपयंगों के अधीन किया गया है या की गई है.

## उगाबंध-क

मध्यप्रदेश राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए आवेदन का फार्मेट पच्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, 2007 की धारा 4 में दिए भए उपविधी के अधी:

(01) ग्रायोज्ये निकाय का व्यारे :
(विरत्त जानकारी परियोजना प्रतिबेदन के पान . . . . . में दी गई है)

- (क) नाग
- (ख) पता
- (ग) पिन कोड
- (ग) दूरगाप ऋमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)
- (ङ) फैक्स क्रमांक
- (च) ई-मेत
- (02) प्रायोजी निकाय के रजिस्ट्रीकरण एवं उसके संविधान तथा उपविधियों का विवरण:

(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)

- (क) प्रायोबी निकाय मध्यप्रदेश सोसायटी रिबस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973
   (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रिजस्ट्रीकृत सोसाइटी है; या
- (ख) कोई सार्वजनिक न्यास है; या
- (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की घारा 25 के अधीन रिकस्ट्रीकृत कंपनी है;
- (घ) क्या प्रायोजी निकाय एक ऐसा निकाय है जो (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथा उपर्वेषित किन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन रिजस्ट्रीकृत नहीं है किन्तु जल्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत है? यदि हां तो उस अधिनियम के विवरण हैं.
- (ङ) रिवस्ट्रीकरण को प्रमाणित प्रति संलग्न करें;
- (च) संविधान तथा उपविधियां संलग्न करें
- (03) प्रायोजी निकाय के विगत 03 वर्षों के संपरीक्षा लेखा की प्रमाणित प्रतियां संलम्न करें : (विस्तृत जानकारी परियोक्ता प्रतिवेदन के भाग . . . . , में दो गई है)
- (04) ग्रायोजी निकाय के वित्तीय संसाधन से संवंधित जानकारी : (विस्तृत जानकारी परियोवना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)
- (05) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)
- (८६) उस स्थान का पूरा पता जहां प्रसावित विश्वविद्यालय का मुख्य पतिस स्थापित किया चाना है : (विन्तृत जनकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)
- (07) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उट्देश्य :(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)

- (08) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय, संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करेगा? यदि हां तो उसके व्यीर दें : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)
- (७) क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर किसी ऐसे क्षेत्र में अवस्थित होगा जो कि सामान्य क्षेत्र नहीं हैं : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) क्या स्थापित की जाने के लिए प्रस्तावित विरविद्यालय का मुख्य परिसा किसी अनुस्चित क्षेत्र में होगा? यदि हां, तो सक्ष्म प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि प्रतावित स्थान क्षेत्र अनुस्चित क्षेत्र है;
  - (ख) क्या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर नगर निगम के भीतर होगा? यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का 'प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थान नगर निगम के भीतर है.
- (10) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए भूमि के विस्तृत ब्यॉरे : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . . में दो गई है)
  - (क) विश्वविद्यालय के पूर्ण उपयोग के लिए भूमि के ब्यौरे, यदि आवेदन की तारीख की उपलब्ध हों.
    - (एक) भूमि का स्वामित्व (आवश्यक संवृत के साथ)
    - (दो) भूमि का क्षेत्र
    - (तीन) भूमि का नवशा
  - (खं) भूमि जो आशय-पत्र प्राप्त होने के परचात् अर्जित की जाएगी :--
    - (एक) भूमि का स्वामित्व (आवश्यक समूत के साथ)
    - (दो) भूमि का धेत्र
    - (तोन) भृमि का नक्शा
    - (चार) भृमि किससे अर्जित की जायेगी
    - (पांच) भू-अर्जन करने हेतु वित्त व्यवस्था
- (11) (क) भवन निर्माण, संरचनात्मक सुविधाएं एवं वर्तमान अमोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास;
  - (ख) उपस्करों के उपापन हेत् योजना ;
  - (ग) आगामी पांच वधी हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा.
- (12) आगामी पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजीयत व्यय के चरणबद्ध ब्यौरे तथा उसके विच के स्त्रोत : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (13) भंकायों की प्रकृति (नाम): (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) संकायों का नाम जैसे:- विज्ञान, कला, चाण्ज्यि, विधि व्यावसायिक शिक्षा आदि.

- (छ) प्रत्येक संकाय के अंधीन पात्यक्रम जैसे : त्नातक, स्नातकोत्तर अंदि
- (ग) राज्य के यिकास के गेर्श में प्रत्येक पाठ्यक्रम की ब्रासंगिकता
- (ध) प्रत्येक पाट्यक्रम में लक्षित छात्र संख्या
- (क) अगरो 05 वर्गी हेतु तत्वक्रमां के लिये चरणबद्ध प्रस्तावित कोर्वक्रम
- (च) प्रत्येक पात्यक्रम के लिए यह जानकारी दें कि क्या इसके प्रारंभ करने के लिये केन्द्रीय विनियमक निकाय या/ और राज्य विनियामक निकाय से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? यदि हां, तो उसके ज्योरे दें यदि पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो वे उपयंध वर्णित करते हुए घ्योरे दें जिनके अधीन केन्द्र/राज्य अधिनियम में पूर्व अनुमोदन आवश्यक है.
- (14) प्रायोजी निकाय के अधीन संबंधित विद्या में पूर्व अनुभव तथा विशेषज्ञता (यदि कोई हो): (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतियेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (15) पाठ्यक्रमों एवं गवेपणा हुत अपेक्षित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धताः (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) अध्यापन कर्मचारिवृन्द
  - (ख) तकनीको तथा गैर-तकनीको कर्मचारिवृन्द
  - (ग) उपस्कर तथा प्रयोगशाला.
- (16) प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रमों पर व्यय के बारे में व्यारे : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)
  - (क) आवर्ती व्यय का प्राक्कलन
  - (ख) वित्त के स्त्रोत
  - (ग) प्रति विद्यार्थी प्राक्कलित व्यय.
- (17) संसाधनों को गतिमान करने हेतु स्कीम : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) पूंजी की लागत
  - (ख) प्रतिसंदाय की रोति,
- (18) विभिन्न स्त्रोतों से आंतरिक रूप से कीप के निर्माण की स्कीम : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) छात्रों से फीस
  - (ख) परामशीं सेदाएं
  - (ग) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संशीधत अन्य मतिविधियां.
- (19) चिभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित फीस दांचा, रिवाबत एवं छात्रवृत्तियां : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
  - (क) सामान्य प्रवर्ग के लिए
  - (ख) आर्थिक रूप से कमजोर गर्गों के लिए
  - (ग) अनुसूचित जातियां एवं अनुसृचित जनजातियां तथा अन्य पिछडे कंतेके लिए,
- (20) अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश को अपनाई जाने वाली प्रम्तावित प्रणासी : (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दो गई है)

(21)	अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वार
	प्रस्तावित प्रणाली :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग में दी गई है)
(22)	शिक्षा देने का उंग :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिनेदन के भाग में ही गई है)
	(क) परापरागत पद्धति,
4	(ख) द्रवर्ती शिक्षा पद्धति
	(ग) उपरोक्त दोनों प्रकार
(23)	यदि दूरवर्ती शिक्षा प्रस्तावित है तो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों के नाम तथ उनके ब्योरे:
	(विस्तृत पानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग , में दो गई है)
(24)	स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन व
	प्रकृति प्रशिक्षण या गवेषणा गतिविधियों के च्यीर :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भूग में दी गई है)
(25)	विशेष रूप से इस राज्य में स्थित कृषकों, महिलाओं तथा उद्योगों के ला॰
	हेत् कार्यक्रम् :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग में दी गई है)
(26)	उपलब्ध गा/प्रस्तावित अन्य सुविधाएं :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिबेदन के भाग में दी गई है)
	(क) छात्रों (लड़के/लड़िक्यों) के तिए छात्रावास सुविधा
	(ख) खेल मैदान
	(ग) राष्ट्रीय केंडेट कोर, स्काउट एवं गाईड राष्ट्रीय सेवा योजना आदि
(27)	राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित परिसर का विवरण :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग में दी गई है)
(28)	प्रस्ताचित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता के लिए औचित्य :
	(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भग में दी गई है)
	यदि प्रायोजी निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो स्थापना से संवंधित अधिसूचना का कमांक तारीख तथा पूर्वतर अधिनियम की अनुसूची 1 का अनुकमांक देते हुए क्योरे दें. इसके साथ यह भी दर्शाएं कि क्या विन्यास निधि या/और अतिरिक्त निधि जमां की गई थी या जगा
	की हैं? यदि हों, तो सबूत के साथ सम्पूर्ण विशिष्टियां दें :

(30) आवेदन फीस के व्यरि (विल्लिखित करें) (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)

(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . में दी गई है)

(क) रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट की रकम

- (ख) उस बैंक का नाम जिसने मांगदेय ड्राफ्ट जारी किया है;(मं) मांगदेय ड्राफ्ट का क्रमांक एवं तारीख;
- (घ) मागदेय झफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजी निकाय का नाम तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करें.

में प्रमाणित करता हूं कि,-

स्थान :	हस्ताक्षर , . ,
तारीख :	नाम एवं पदनाप · · · · · प्रायोजो निकार का नाम · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

दो साक्षियों के हस्ताक्षर, नाग एवं पता :--

(1) हस्ताक्षर

नाय

पता

(2) हस्ताक्षर

नाम

पता

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु व्याख्यात्मक टीप.—(1) मध्यप्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व कृपया मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) में किये गये उपवंधों को सावधानीपूर्वक पढ़ तें.

- (2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयीग के कार्यलय से किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम तथा नियमों की प्रति रुपए 1000/-(एक हजार रुपए) का रेखांकित एकाउन्टपेयी ड्राफ्ट प्रस्तुत करके या रुपए 1050/- (एक हजार पचास रुपए) का रेखांकित ड्राफ्ट जो मान्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से भोपाल में देय है, ढाक द्वारा भेजकर प्राप्त की जा सकती है.
- (3) प्रायोजी निकाय या उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विनियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है. मार्गदर्शन सत्र समय निर्धारित करने के पश्चात् ही आयोजित किया जाएगा.

## उपावंध-ख

## विन्यास निधि की स्थापना के लिए आवेदन

pld.

सभापति, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय चिनियामक आयोग, भोपाल.

- (1) प्रायोजी निकाय के जोरे
  - (क) नाम
  - (ख) पता
  - (ग) पिन कोड
  - (म) दूरभाप क्रमांक (एस.टो.डो. कोड सहित)
  - (छ) फैसा क्रमांक
  - (च) ई-मेल
- (2) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम
- (3) उस स्थान का पूरा पता जहां प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित किया जाना है.
- (4) निजी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसा का स्मान :
  - (क) स्थापित किए जानें वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित होगा? यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का सनृत संलम्न करें कि प्रस्तावित स्थान क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.
  - (ख) दया स्थापित किए जाने वाले प्रस्ताबित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भीषाल नगर निगम सोमा के भीतर होग्या? यदि हां, तो सखम प्राधिकारों सें इस व्याग्य का सब्त प्रस्तुत करें कि प्रस्ताबित स्थान भोषाल नगर निगम सीमा के भीतर है.
- (5) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की कियास निष्यि के ब्योरे (उल्लिखित करें) :
  - (क) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम;
  - (ख) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय का नाम;
  - (ग) अधिसूचना का क्रमांक तथा तारीख जिसके अधीन पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था :
  - (घ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पूर्वतर अधिनियम की अनुसूची 1 में अनुक्रमांक ;

- (ङ) क्या पूर्ववर्ती विख्वविद्यालय का मुख्य गरिसा अनुसृचित क्षेत्र में स्थापित था?
- (च) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालग की विस्कास निधि की एकम जी विनियामक आयोग के पास जगा है (वैंक की पै-इन-िलय की फोटो प्रति संलग्न कर सन्तृत दें);
- (छ) अधिनियम की पारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परंतुक में यथा उपबंधित विन्यास निधि की वह शुद्ध रक्तम जो प्रायोजी निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि का समायोजन करने के पश्चात् जमा करना प्रस्तावित हैं. यह जानकारी केवल उन प्रायोजी निकायों द्वारा ही दो जाना है जिन्होंने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किए थे अन्य प्रायोजी निकाय यहां निरंक जानकारी दे सकेंगे.
- (6) विन्यासंनिधि का विवरण (उत्लिखित करें) :
  - . (क) विन्यास निधि की रकम;
  - (ख) बेंक ड्राफ्ट क्रमांक, उस बेंक का नाम, जिसमें उसकी शाखा का नाम, शाखा क्रमांक तथा शाखा का कोड सिम्मिलत हैं, जिसने वेंक ड्राफ्ट जारी किया हो;
  - (ग) बैंक ड्राफ्ट जारी करने की तारीख;
  - (प) उस न्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसने प्रायोजी निकाय को ओर से विन्यास निधि की रकम भेजी है:
  - (इ) मांगदेय ड्राफ्ट के पीछे, प्रायोजी निकाय तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम का वर्णन करें.
- (७) विन्यास निधि रो, प्राप्त आय जमा करने के लिए प्रायोजी निकाय के नाम से बचत खाता खोलने का स्वतः
  - (क) उस अनुसूचित चैंक तथा उसकी शाखा का नाम जिसमें चवत खाता खोला गया है;
  - (ख) वह रकम जिससे वचत चैंक खाता खोला गया है (चैंक द्वारा जारी की गई जमा पर्ची की अभिष्रमाणित छायाप्रति उपार्वध के रूप में संलग्न करें);
  - (ग) उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जो कि प्रायोजी निकाय की ओर से चचत बैंक खाते का संचालन करेगा;
  - (प) वचत बैंक खाता क्रमांक तथा इस खाते के प्रारंभ करने को तारीख.
- (8) आज्ञय पत्र का विवसण (उल्लिखित करें)
  - (क) जारी करने का क्रमांक तथा तारीख:
  - (ख) प्रायोजी निकाय द्वारा प्राप्त होने की वारीख:
  - (ग) आशय-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें.
- (9) विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में कोई अन्य जानकारों जो प्रायोजी निकाय देना घांहे या कोई निवेदन जो प्रायोजी निकाय, विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में करना चाहे.

(प्रस्तावित	विश्वदिद्या	लय का नाम उल्लिखित करें) के लिए हि	नियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) के उपशंधों के अधीन वन्यास की स्थापना हेनु उपरोक्त आवेदन-पत्र
(प्रायाजा नि	काय का	नाग) की ओर से एतद्द्वारा प्रस्तुत किया	जाता है.
ñу	माणित कर	ता हूं कि:-	
(			प्रेरी निकाय का नाग) · · · · · · नी ओर प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया हैं.
(	7	यापित करेगा तथा रुपए (अंकों में) · · · ·	त नाम से निजी विश्वविद्यालय (शन्दों में) पिन्यास निधि के रूप में
	for the second	क्रए नए समस्त उपवंधों के संबंध में तथा गएगा और यह भी संकल्प किया है कि	गलय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम,-2007 (फ्रमांक 17 सन् 2007) में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गये ऐसे अन्य उपबंधों का पालन किया मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की प्रति उपायंध के रूप में संलग्न करें).
स्थान : ····		- Cafrig	हस्ताधर
वारोख :			नाम तथा पदनाम
			प्रायोजी निकाय का नाम · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
दो साक्षियों व	के इस्ताक्ष	, नाम एवं पता :	
(1)	इस्ताक्ष		Contraction of the second
	नाम		
	पता		
(2)	इस्ताक		
	नाम		
	<b>प</b> वा		
			and the second second
			उपार्वध-ग
		मध्यप्रदेश निजी विश्वविष	द्यालय विनियामक आयोग, भीपाल
	14		
			दूरभाष क्रमांक
			५-मेत
			वारीख.

विषय :—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालव विनियामक आयोग, भोपाल के खाते में जमा ''किन्क्रस निधि'' के लिए प्रमाण-पत्र.

		o de co						
							(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	१ प्रावशत	(0)
	नाम्	पता		संख्या	41	कुल फीस	का १ प्रविशत	
	केन्द्र का	केन्द्र का	רער זאר	विद्यायया	फीस की दर	की गई	संख्या ७	
भनु- ज्यांक	परिसर/ अध्ययन	परिस <i>र।</i> अध्ययन	पाठ्यक्रम का नाम	नामांकित विद्यार्थियों	प्रतिमाइ	संगृहीत	कॉलम	क्षेश्युवितय
-					161 (26)		•••••••••••	•
विवाण क्र	र्षांक	व	4	· ई-मेल				
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
ं वश्वविद्या	लय का नाम							
		संगृहीत की ग	ाई तथा विनिय	गमक आयोग	को भेजी गई	फीस का ि	वेवरणं	
				उपार्वध्-ध	1			
			- FIAS		प्रायोजी ।	निकाय का ना	q	*********
ताराख :-								
<u>.</u>								
			- 600					
(1)	(2)	)	(3)		(4)		(5)	(6)
			अस्य-एउ का र	155	सामान्य/अभिसूचि	ति ध्रत्र)		का विवरण
	नाम		विभाग द्वारा क		की स्थापना का			मांगदेय द्वार

(				-	
	(1) मांगदेय ड्राफ्ट जारी करने व	वाली बैंक का नाम, उसकी शाखा र	तिहत जिसने मांगदेय ड्राफ्ट	जारी किया है …	
. (	2) मांगदेय ड्राफ्ट क्रमांक			and the second	
. (:	3) मांगदेय ड्राफ्ट जारी करने व	को वारीख			A one so and
य	इ प्रमाणित किया जाता है कि प	फीस संग्रहण का विवरण हमारे द्वारा	। यहां सत्यापित किया गया ां	है और सही है.	
तारीख:		कुल सचिव	revision and	मुख्य वि	त तथा लेखाधिव
स्य हो गई है	म्प्टीकरण टिप्पण :—(1) क :	र्गेलम क्रमांक (४) : उस पाठ्यक्रम	के नाम का उल्लेख करें जि	सके लिए विद्यार्थि	यों से फीस संग्रह
(2 वानी र	<ul><li>कॉलम क्रमांक (6) : "फी जाती हो, किन्तु जो प्रतिदाय नह</li></ul>	सि" से अभिग्रेत है विद्यार्थियों से वि ते हैं.	वस्वविद्यालय द्वारा संग्रहीत व	की गई फीस चाहे	वह किसी भी न
	Wis drawn as	उपाबंध-र	g ·		
	मध्यप्र	देश निजी विश्वविद्यालय वि	नियामक आयोग, भोप	ाल	
			फेक्स क्रम ई-मेल	मांक संक	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
विष्	षयः—मध्यप्रदेश राज्य की संचि	त निधि में जमा की गई फोस का वि	वरण		
		कोघालय में जमा की गई फ	ोस का विवरण		es. Franksis
	विश्वविद्यालय का नाम	टस मास का नाम जिसमें फोस संग्रहीत	विवरण क्रमोंक तथा वर्ष	रकम	अभियुक्तियां
भनु- मांक'		की गई है	The Tay of the State of the Sta		- 10

पुरुषप्रवेश राज्यात्र, विवास उ जनवर्र 2006

ग्रांकित की जा लय में उल्लि अभियुक्तियां (5)
तय में बल्लि
तय में उत्ति
को भेजने सं
भोपाल.

(2) वह शीर्ष जिसके अधीन राज्य की संचित निधि में	ं रकम जमा को जानों है ·····	) 400 / W. C. of R. to an inviteding A
(3) कोपालय का नाम, जिसमें रकम जमा की गई है		
(4) पाने वाले के खाते में देय चेक का क्रमांक	( dette esteroca ( este del este ) e	approbable as all of approbable
(5) चेक प्राप्ति की तारीख	political and political drings	solge ord tell bolling des professits of
(6) बैंक का नाम जिसमें चेक आहरित होना है		
(7) चेक पर हस्ताक्षर करने वाले विनियागक आयोग वे		
		nglosed flore telms finne configuration?
Liebpheralisto establishen 26 a	(1) हस्ताक्षर तथा पदनाम	
	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय	विनियामक आयोग, भोपाल.

R No. 1016-CC-07-XXXVIII.— In exercise of powers conferred by sub. Section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government hereby makes the following Rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called "Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Rules, 2008".
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the official "Gazette"
  - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require,—
    - (a) "Act," means Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007),
    - (b) "Commission" means the Regulatory Commission established under Section 36;
    - (c) "Higher Education Department" means the Higher Education Department, of Government of Madhya Pradesh;
    - (d) "Private University" means the Private Universities incorporated under the Act;
    - (e) "Regulation" means the regulation made under the provisions of the Act; (f) "Sponsoring Body:" means the sponsoring body as defined in clause (za) of Section 2;
    - (g) "State" means the State of Madhya Pradesh;
    - (h) "Visitor" means the visitor of the private universities as defined in clause (zi) of Section 21
    - (i) "Words and Expression" used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- 3. Application for Establishment.—(1) Spensoring body intending to establish a private university shall submit be application for establishment of the private university in prescribed form as an Annexute "A" to the Regulatory formulasion.
- (2) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of the sponsoring lody.

- (3) Application fee of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lac Only) shall be sent along with application through a crosself account payee draft in the name of the "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission" payable at Bhocal.
  - (4) Application for the establishment of the Private University shall be accompanied by a Project Report.
  - (5) Application submitted by the sponsoring body shall be duly acknowledged by the Regulatory Commission.
- 4. Establishment of Endowment Fund.—(1) Sponsoring body intending to establish Private University shall establish an Endowment Fund after receiving the letter of intent as provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act in accordance with the provisions of Section 11 of the Act.
- (2) The Endowment fund shall be deposited in the fund of the Regulatory Commission under the signature of sponsoring body through crossed account payee draft in the name of the "Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya Regulatory Commission" payable at Bhopal in form as prescribed an Annexure "B" and shall issue a certificate of receipt by the Commission in form as prescribed in Annexure "C".
- 5. Investment of Endowment Fund.—(1) The Regulatory Commission shall invest the Endowment Fund in the form of fixed deposit in some Schedulede Bank, keeping in view of the various parameters for ensuring liquidity, security and profitability of the funds.
  - (2) Proceeds from the investment shall be utilised by the commission for performing its function.
- 6. Income from Endowment Fund.—(1) The Regulatory Commission shall pay to the Sponsoring body interest on the amount of the Endowment Fund at the rate at which the State Bank of India pay the interest, during the period under consideration, on the Savings Bank Account.
- (2) Income from the Endowment fund shall be deposited in a joint Savings Bank Account opened in a Scheduled Commercial Bank. Joint Account shall be in the name of the sponsoring body and "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission."
- (3) Incomes from the Endowment Fund shall not be invested in any business connected directly or indirectly with the sponsoring body. This Income shall be used only for the development of the University.
- 7. Forfeiture of Endowment Fund.—(1) On the report of the commission or other wise. If the State Government is satisfied that such a situation has arisen that it has to discharge its responsibility according to provisions of Section 40 or 41 of the Act. It shall issue a show cause notice to the sponsoring body of the concerned private university for forfeiture of a part or whole of the Endowment Fund along with the income on this endowment fund, if any, for implementing the provisions of sub-section (2) of Section 11 of the Act.
- (2) Sponsoring body shall reply the show cause notice for forfeiture of the endowment fund within 45 days of its receipt.
- (3) After receipt of notice if Sponsoring body fails to reply within prescribed period, Commission may recommend to the State Government for permission to forfeit the endowment fund and after obtaining permission, the endowment fund shall be forfeited and credited in the Government Account under the head 01 General Education(1) "0202-Education, Sports, Art and Culture (103)#University and Higher Education (0662)"
- 8. Refund of Endowment fund and its Income.—(1) If the Sponsoring body propose to dissolve or de-establish the private university established under the provisions of the Act due to any reasons or circumstances beyond its control, the sponsoring body shall have to easure that no student admitted in the University shall be adversely affected. The sponsoring body shall also submit to the Regulatory Commission a complete plan for completion of the courses, conductado of examination and on that basis awarding Degree, Diploma, Certificate, etc. to the students studying in the University. On the plans so submitted that the Sponsoring body has completed its responsibilities towards the students according to the plans so submitted, the Regulatory Commission shall ask the sponsoring body to submit an affidavit stating therein that

the sponsoring body does not bear any liabilities due to State Government, Students, and Employees of the University or any other person. On receiving, the Affidavit, Regulatory Commission shall examine the facts stated therein. After being satisfied that the facts given in the Affidavit are true, Regulatory Commission shall return the Endowment Fund and income therefrom if any, to the sponsoring body.

(2) Regulatory Commission shall examine the affidavit submitted by the Sponsoring Body and in case of disagreement with the facts mentioned in the affidavit, Regulatory Commission shall return such a portion of the Endowment Fund and income therefrom, if any, as it considers proper, and it will not return the same till it is fully satisfied that the sponsoring body does not bear any due liabilities to the State Government, students or employees of the private university, and that the arrangements have been made for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding of degree, diploma and certificate, etc. to the students studying in the Private University:

Provided that where the amount of Endowment Fund has been deposited in the Fund of the Regulatory Commission by a Sponsoring Body with an intention to start a Private University after receiving letter of intent, as per sub-section (2) of Section 6 of the Act, and where the Regulatory Commission is satisfied as per Section 8 of the Act, that the proposal to establish a Private University can not be approved by it for the reasons to be recorded in writing and thus is not in a position to advise the State Government to issue a Notification for establishment of the Private University under sub-section (1) of Section 9 of the Act, the Regulatory Commission shall refund the amount of Endowment fund and income therefrom, if any, to the sponsoring body.

- 9. Procedure for fees deposit.—(1) Every Private University shall deposit the portion of the fees collected from the student due under the Provisions of Section 12 of the Act through a crossed Account Payee Bank Draft/Banker's cheque in the name of "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission" payable at Bhopal in the prescribed form as prescribed in Annexure-D.
- (2) Regulatory Commission shall credit the amount of fees received from the private universities within 15 days in the Treasury under the head 01-General education (1) "0202-Education, Sports, Art and Culture, 103-University and Higher Education (0662) receipt from private universities" and information shall be kept in form as prescribed in Annexur-E and a copy of the same be transmitted to sponsoring body.
- (3) Information with regard to fees collected from the Private Universities under the provisions of these rules and deposited in Government Treasury, and penal interest, if any, imposed and deposited in the Government Treasury, and other relevant information in this regard for every financial year shall be maintained in the office of the Regulatory Commission, Penal interest information shall be kept in the form as prescribed in Annexure-I.
- 10. Establishment of the Regulatory Commission.—(1) Private Universities Regulatory Commission shall function in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder.
  - (2) The Head Office of the Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission shall be at Bhopal.
- 11. Functions of the Regulatory Commission.—(1) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in sub-section (8) of Section 36 of the Act as well as such other functions as it may deem fit to achieve the objectives laid down in sub-section (1) of Section 36 of the Act.
- (2) Any other such matter concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education which may be referred to it by the State Government.
- 12. Power to make Regulations.—(1) The Commission shall lay down the procedures for performance of its functions and for administration and management of the Commission in the form of Regulations.
- (2) Till regulations are made as provided in these rules, the Regulatory Commission may adopt such procedure for the purpose of administration and management of the Commission, or rules made by the State Government in this behalf or may make such procedure as it may deem fit.
- 13. General Control of Visitor.—(1) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

- (2) The Visitor in performance of his duties of general control of the Regulatory Commission may call for any paper or information relating to the affairs of the Regulatory Commission for reasons to be recorded thereon, by an order in writing, give such directions to the Regulatory Commission on that basis.
- (3) The Visitor may before issuing any direction, call comments of the Commission and may also direct for personal presentation on any matter before giving any direction.
- 14. Terms and conditions of Service of Chairman and Members.—(1) (a) A person appointed as Chairman or Full time Member or Part Time Member shall hold office for a term of 3 years.
- (b) person who has hold office as Chairman or Member shall be eligible for further appointment for one more terms.
- (c) no person shall be eligible for the post of Chairman or Full Time Member or Part Time Member who has held or is holding an office with any of the Private Universities established under the Act or Private Universities established outside the State of Madhya Paudesh.
  - (2) No person shall hold the office after the age of 65 years.
- (3) The Chairman or a Full-Time Member or a Part Time Member may resign his office by writing under his hand addressed to the visitor, and shall forward a copy of that resignation letter to the Higher Education Department.
  - (4) If at any time upon representation made or otherwise it appears to the Visitor that the Chairman or Member,
    - (a) has made default in performing any duty imposed on him by or under the Act; or
    - (b) has acted in manner prejudicial to the interest of the Regulatory Commission; or
    - (c) is incapable of managing the affairs of the Regulatory Commission, the visitor may notwithstanding the fact that the term of office has not expired, by an order in writing, recording the reasons therein, require the Chairman/Member to relinquish his office as from such date as may be specified in the order:
    - Provided that no such order shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Chairman and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order,
- (5) As from the date specified in the order under sub-section (4), the Chairman or Member shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Chairman or Member shall fall vacant.
- (6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full Time Member or Part-Time Member, whether by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by a fresh appointment:

Provided that the Education Department may, in consultation with the visitor, fill any casual vacancy of the office of the chairman by appointing any full time member for not exceeding two months.

- (7) During the absence of the Chairman due to leave, illness, or any other cause, the Full-Time Member nominated by the Chairman shall discharge functions and duties of the Chairman.
  - (8) The office of the Chairman as well as all the Full-Time Member shall be whole time and salaried one. 32
- (9) The Full Time Members shall perform such functions as may be assigned to them by the Chairman .from time to time.

(10) The Chairman shall receive a consolidated salary of Rs. 25000/- (Rupces Twenty Five thousand only) per month irrespective of the pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him:

Provided that, if the Chairman is not getting any pension he shall be entitled to receive a salary as prescribed by Finance Department and Jearness allowance and other allowances as admissible to class-I Officer of the State Government from time to time.

- (11) The Chairman shall be entitled to free furnished residential accommodation at the Headquarters of the Regulatory Commission, maintained by the State Government or accommodation provided by the Government.
- (12) The Chairman shall be provided with one Car along with one Driver, Telephones with STD facility in office and at his residence.
- (13) The Full Time Member shall receive a consolidated salary as prescribed by Finance Department irrespective of pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him:

Provided that if a Member is not getting pension then he shall be entitled for salary as prescribed by Finance Department with Dearness Allowance and other allowances admissible to class-I Officer of the State Government.

- (14) The Full Time Member shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to class-I Officer of the State Government along with Telephones with STD facility in office and at his residences.
- (15) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to 13 days casual leave and one month's earned leave/ medical, leave in one calendar year. Leave Record of the Chairman and the Full Time Member shall be kept in the office of the Regulatory Commission.
- (16) During travel for the working of the Regulatory Commission or the Government the Chairman and Full Time Members of the Commission shall be entitled to Traveling Allowance and Dearness Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I officer of the State Government and in addition to reimbursement for staying as prescribed by Finance Department.
- (17) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to such medical benefits as may be admissible to Class-I officer of the State Government or to Medi-claim in lieu thereof, as may be decided by the Education Department.
- (18) The Chairman and the Full Time Members shall not receive any retirement benefits such as pension, gratuity or both from the Regulatory Commission.
- (19) A Part Time Member shall be entitled to sitting fee of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) per day and Traveling Allowance at the rates applicable to Class-I officers of the State Government and in addition to, for the period spent on duty, reimbursement for staying prescribed by Fittance Department.
- Meeting of the Commission.—(1) The Regulatory Commission shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman.
- (2) The Chairman and in his absence, senior most Full Time Member/Part Time/ Member of the Commission shall preside over the meetings of the Commission.
- (3) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of the wotes of the members present and voting!

Provided that if, any Member is not appointed then Chairman shall decide the questions by passing Speaking Orders/
Resolutions:

Provided further that the Chairman and only one Member is present in the meeting then the decision shall be taken by Chairman by speaking orders after recording the views of the Member present in the meeting.

- (4) Minutes of every meeting of the Regulatory Commission shall be recorded by one of the Full Time Members of the Commission or by an officer of the Commission authorized for the purposes by the Chairman. The minutes shall be valid by signature of the Chairman/Officer authorized by Government and shall be kept as a permanent record of the Regulatory Commission.
- 16. Vacancy etc. not to Invalidate the proceedings of the Commission.—No act or proceedings of the Commission shall be invalidated merely by reasons of,—
  - (a) Any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission; or
  - (b) Any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Commission; or
  - (c) Any irregularity in the procedure of the Commission, if not affecting the merits of the case.
- 17. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes.—(1) The Regulatory Commission may associate with itself any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act or rules made there under.
- (2) A person associated with it by the Commission under sub-rule (1) above for any purpose may be invited by the Commission to take part in the discussions relevant for the purpose, or in any meeting of the Commission in which the relevant purpose is included as an agenda item of the meeting of the Commission, but such person shall not have a right to vote at a meeting of the Commission and shall not be a member for any other purpose.
- (3) A person associated with the Commission for the purpose of these rules shall be paid a sitting fee of Rs. 1000-(Rupees One thousand only) per day and traveling allowance at the rates admissible and applicable to Class-I Officer of the State Government.
- 18. Authentication of Orders and other instruments of the Regulatory Commission.—(1) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any person authorized by the Chairman in this behalf.
- (2) All other instruments issued by the Commission shall be authenticated by a signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any other person of the Commission authorized in a like manner in this behalf.
- 19. Payment to the Commission.—The Government of Madhya Pradesh may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Regulatory Commission in each fineial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Commission udner the Act.
- 20. Fund of the Regulatory Commission,—(1) The Regulatory Commission shall have its own Fund and all surns which may from time to time be paid by the State Government and fees collected/received from the private collage/institutions and all the receipts of the Commission (including Endowment Fund, Additional Fund any sum which any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund and all payments of the Commission shall be made therefrom.
- (2) All the money belonging to the Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of Inchia, Act, 1934 (No. 2 of 1931).

- (3) The Commission may spend such sum as it may thinks fit for performing is functions under the Act, and such sums shall be treated as an expenditure payable out of the Fund of the Regulatory Commission, the fund shall be audited every year.
- 21. Budget.—The Regulatory Commission shall prepare in such form and at such time each year as may be decided by the Commission, a budget in respect of the financial year next ensuing an estimated receipts and expenditures and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department with a view to obtain due appropriation by the State Legislative Assembly and payments thereafter of appropriate sums to the Regulatory Commission shall be audited and the record of accounts shall be placed as prescribed in Rule 19.
- 22. Annual Report.—The Regulatory Commission shall prepare once in every financial year, in scuh form and at such time as may be decided by the Commission, an Annual Report giving true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department. The Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.
- 23. Accounts and Audit.—(1) The Regulatory Commission shall cause to be maintained such Books of Account and other accounts in relation to its accounts in such form and in such manner as may be determined by the Commission/State Government.
- (2) The Regulatory Commission shall, as soon as may by after closing its Annual Account, prepare a statement of account, in such form and by such date as the Regulatory Commission may determine.
- (3) The accounts of the Regulatory Commission shall be audited by a Chartered Accountant immediately after closing of the financial year.
- (4) The accounts of the Regulatory Commission as certified by the Chartered Accountant together with the Audit Report thereon shall be forwarded to the Higher Education Department and the Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.
- 24. Staff, Accommodation and other Facilities of Regulatory Commission.—(1) The Regulatory Commission shall appoint on deputation or otherwise such number of officers and other employees as may be necessary for the purpose of enabling it to efficiently discharge its functions under the Act or rules made thereunder.
- (2) For its officers and employees, the Regulatory Commission shall take decision and accordingly acquire accommodation, equipments and other facilities as it may considers necessary.
- 25. Power to remove difficulty.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules or such matters which are not covered under therse rules, on the recommendation of Commission, the State Government may, by order published in the official Gazette not inconsistent with the provisions of Act, and these rules, reprove such difficulty.
- 6. Repeal and Savings,—All relectoresponding to these Rules, Orders, Circulars and Resolutions, if any, and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules, Orders, Circulars and Resolutions so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

#### ANNEXURE-A

## APPLICATION FORMAT FOR ESTABLISHMENT OF A PRIVATE UNIVERSITY IN THE STATE OF MADIFYA PROESI!

[Under the provisions given in Section 4 of the Madhya Pradesh Private Universites (Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniya, 2007]

- (1) Details of Sponsoring Body
  (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) Name
  - (b) Address
  - (c) Pin Code
  - (d) Telephone No. (With STD Code)
  - (c) Fax No.
  - (f) E-mail.
- (2) Particulars of registration of the sponsoring Body and its constitution and bye laws, (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) The sponsoring body is a Registered Society udner Madhya Prdesh Society's Registrykaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973); or
  - (b) Is a Public Trust; or
  - (c) Is a Company Registered under Section 25 of the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).
  - (d) Whehler the sponsoring body is a body which is not registered under any of the arrangments as proyided under (a), (b) and (c) but is registered under another Act which is for the time being in force. If yes, give particulars of that Act.
  - (e) Attach certified copies of the Registration
  - (f) Attach Constitution and Byc-lays.
- Attach certified copies of the audited accounts of the sponsoring body for the past 3 years.
   (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
- (4) Information regarding Financial resources of the sponsoring body. (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
- (5) Name of the proposed university.(Detailed information given in section . . . . of the project Report).
- (6) Full addr.ss where the main campus of the proposed university to be established.
   (Detailed information given in section . . . . of the project Report).

- (7) Objectives of the proposed University.

  (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (8) Whether proposed Univesity would demand minority status under-Atricle 30 of the Constitution?, If yes, give details. (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (9) Whether the Main Campus of the University will be located in and area, which is not a general area? (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) Whehter the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area? if yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.
  - (b) Whether the main campus of the University proposed to be establised will be within the Municipal Corporation. If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation.
- (10) Details about the land for the use of the propsed University. (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
  - (a) Details of the land for full tree of the university, if available on the date of application—
    - (i) Ownership of land (with necessary proof)
    - (ii) Area of land
    - (iii) A map of the land
  - (b) Land that will be acquired after receipt of the letter of intent,-
    - (i) Ownership; of land (with necessary proof)
    - (ii) Area of land
    - (iii) A map of the land.
    - (iv) Land will be acquired from whom?
    - (v) Financial arrangement for acquisition of land.
- (a) Construction of buildings, development of structural amenities and present infrastructure facilities.
  - (b) Plan for procurement of equipments
  - (c) Outline of phase-wise programme for the coming 5 years.
- (12) Details of phased outlays of Capital Expenditure proposed for 5 years and its sources of finance.
  (Detailed information given in section . . . . of the project Report).

- (13) Nature of faculties (Name)
  (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) Names of faculties like Science, Aris, Commerce, law, professional Education etc.
  - (b) Courses under each faculty like graduate, post-graduate etc.
  - Relevance of each course in the context of development of the State.
  - (d) Targeted students strength in each course
  - (c) Proposed phased programmes for courses for next 5 years,
  - (f) I'or each course, give information whether for starting it, prior approval from Central Regulatory Body or/ and State Regulatory Body is necessary. If yes, give details of the same.

If prior approval has not been obtained, give details mentioning the provision under which Central/State Act, prior permission is necessary.

- (14) Experience and experies, (if any), in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body.
  (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (15) Availability of academic facilities required for the courses of study and reserach. (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) Teaching Staff
  - (b) Technical and Non-technical staff
  - (c) Equipments and laboratories.
- (16) Details about the expenditure on each of the proposed courses. (Detailed information given in section . . . . of the project Report).
  - (a) Estimate of recurring expenditure
  - (b) Sources of finance
  - (c) Estimated expenditure per student.
- (17) Scheme for mobilizing resources
  (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
  - (a) Cost of capital
  - (b) Manner of repayment.
- (18) Scheme for generation of funds internally from various sources.
  (Detailed information given in section..... of the project Report).
  - (a) Fee from Students
  - (b) Consultancy Services.
  - (c) Other activities relating to the objects of the private university.

(19)		posed fee structure for different courses, concessions, and colar-ships		
		tailed information given in section of the project Report)	, and the second	
	(a)	For General Category		
	(b)	For economically weaker sections	ALPROPRIES.	
	(c)		controller	
(20)	Syst (Det	em proposed to be followed for admissions to the courses of study.  ailed information given in section of the project Report).		
(21)	Other	em proposed to be followed for appointment of Teachers and Employees		
	(Deta	iled information given in section of the project Report).		
(22)	Mod	of imparting education		
	(Deta	iled information given in section of the project Report).		-
	(a)	Conventional Method		
	(b)	Distance Education Method		
	(c)	Both, as above.		
			147	
(23)	study	e Distance Education is proposed, then names of the proposed centers and their details		
7	(Detai	led information given in section of the project Report).		
(24)	reachi	s of programmes related to local needs, nature of the specialized ng, training and research activites		
	(Detail	ed information given in section of the project Report):		
25)	cspecu	mmes for the benefit of Farmers, Women and Industries		
	(Detail	ed information given in section of the project Report).		
26)		ole or/proposed other facilities:—		
* *	(Detail	ed information given in section of the project Report).	reason & reason.	. 42
T <sub>e</sub> nd	(a) H	ostel facility for the stundents (Boys/Girls)		
	(b) P	lay grounds	Committee of the	
	(c) N	atinoal Cadet Corps, Seouts and Guides, National Service		
71	Datalla		The second	ed)
7)	(Detaile	of the proposed campus in the Scheduled areas of the State.  d information given in section of the project Report).		
8)	Justifica	tion for the necessity of establishing the proposed Private	TO SECURE AND A SECURE	
	Universi	ty	Fee from Students	(4)
	(Detaile	d information given in section of the project Report).	Consultancy Services	(d)
))	If the Sp	consoring Body had established erstwhile university, then full giving number and date of the notification regarding	gelinies saifeitos safiO	(5)
	establish	ment and serial number in the Schedule-1 of the earlier act	the support Department of	

Also mention whether endowment fund or/and additional fund was deposited or is in deposit? If yes, then give full particulars with proof. (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).

- (30) Details of application fee (mention):— (Detailed information given in section:.... of the project Report).
  - (a) Amount in the crossed account payce demand draft.
  - (b) Name of the; bank which has issued the demand draft ...
  - (c) Date and Number of the demand draft.
  - (d) Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.

I certify that:>--

Signature

Place :

Name and Designation Name of Sponsoring Body

Signature, name and address of 2 Witnesses:-

- (1) Signature Name Address
- (2) Signature Name Address

Explantory note for submitting application for establishment of a Private University.—(1) Before applying for establishment of a University in the State of Madhya Pradesh in Private Sector, please read carefully the provisions made in the Madhya Pradesh Private Universities (Sthapana Avam Sanchalan) Act, (No. 17 of 2007).

- (2) The copy of the Act and the Rules can be obtained by any person from the Office of the Machya Pradesh. Private Universities Regulatory Commission, Bhopal by producing a crossed Account Payee draft for Rs. 1000/- or by post by sending a crossed Account Payee draft for Rs. 1050/- in the name of the "Madhya Prdesh Private Universities Regulatory Commission" payable in Bhopal.
- (3) The Sponsoring Body or its Representative can seek guidance with regard to the establishment of the University from the Regulatory Commission, Guidance session shall be arranged only after determining the time.

#### ANNEXURE-B

### APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT FUND

To,

Chairman, Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission, Bhopal.

- (1) Details of Sponsoring Body
  - (a) Name
  - (b) Address
  - (c) Pin code
  - (d) Telephone No. (with STD Code)
  - (c) Fax No.
  - (f) E-mail
- (2) Name of the proposed private university
- (3) Full address where the main campus of the proposed private. University is to be established.
- (4) Location of main campus of the private university.
  - (a) Whether the main campus of the university proposed to be established will be established in a scheduled area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a scheduled area.
  - (b) Whether the main campus of the university proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Bhopal? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Bhopal.

- (5) Details of the endowment fund of the erst while university (mention)\*
  - (a) Name of the erstwhile university
  - (b) Name of the sponsoring body of the crstwhile university
  - (c) Notification number and date under which erstwhile university was established.
  - (d) Serial number in schedule-1 of the earlier Act of the erstwhile university.
  - (e) Whether main campus of the erstwhile university was established in the schedule area?
  - (f) Amount of Endowment fund of the erstwhile university which is in deposit with the regulatory commission. (give proof by attaching a photo copy of the Bank pay-in-Slip).
  - (g) Net amount of the endowment fund that the spensoring body proposes to deposit after adjusting the endowment fund of the erstwhile university, as provided in proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Act.

\*This information is to be furnished only by those sponsoring bodies which had established erstwhile university. Other sponsoring bodies may furnish Nil here.

- (6) Details of Endowment Fund (mention).
  - (a) Amount of Endowment Fund.
  - (b) Bank Draft Number, full particulars about the name of the Bank including its Branch name, Branch Number and Branch Code which has issued the Bank Draft.
  - (c) Date of issue of Bank Draft.
  - (d) Name and Designation of the person who has sent the amount of the Endowment Fund on behalf of the Sponsoring Body.
  - (c) On the back of the Demand Draft, mention the name of the Sponsoring Body and the name of the porposed university.
- (7) Proof of opening the savings Bank Account in the name of Sponsoring Body for depositing income form Endowment Fund.
  - (a) Name of the Scheduled Bank and its branch in which the savings bank account has been opened.
  - (b) Amount with which the savings bank account has been opened. Attach attested photo copy of deposit slip issued by the bank as annoxure.
  - (c) name and Designation of the person who will operate the savings bank account on behalf of the sponsoring body.
  - (d) Savings bank account number and the date of establishment of this account.

==		10 [31]
(3)	De	tails of lener of intent (mention)
	(a)	Number and date of issue
	(b)	Date of receiving by the sponsoring body,
	(c)	하지만, 기가 있다면 하지만 하는데 살아가면서 유럽하는데 가고 하는데 되는데 하는데 이 때문에 보니 그리고 하는데 보고 네.
(9)	Any	other information that the sponsoring body would like to
	pro	wide or any request that the sponsoring body would like to make
	in	the context of the establishment of the Endowment Fund.
*	The al	pove application for establishment of endowment fund for (mention
name	of the	proposed University) under the provisions of Madhya Prdesh Private Universities (Sthapana Ayam Sancha lan)
Act, 2	007 (N	lo. 17 of 2007) is submitted hereby on behalf of the
sponso	oring t	ody).
. 1	I certii	y that:—
	(a)	I am authorized to submit the application for establishment of the endowment fund on behalf of the
		thanke of the Sponsoring body).
	(b)	The Sponsoring Body has resolved to establish a Private University by name of
		issued by the Madhya Pradesh Private Universities Regluatory Commission from time to time (Attach a copy of the Resolution as Annexure).
		Signatuere
Place :		Name and Designation.
Date:		Name of Sponsoring Body
ignatu	re, na	me and adderss of 2 Witnesses:—
	(1)	Signature
	,	Name
		Address
	(2)	Signature
		Name
		Address
45	02.2	ANNEXURE-C
	MA	DHYA PRADESH PRIVATE UNIVIRSITIES REGULATORY COMMISSION, BIIOPAL
		Phone No
P. 2 2 6 4	r.A.	Pax No
See est	1,545	entrante de la companya de protection de la companya de la companya de la E-mail
		Date

	Name of the Campus/ Study Center (2)	Address of Campus/ study center (3)	course (4)	enrolled students (5)	fees per month (6)	fees collected (7)	No. (7)	Remarks
lame	Campus/ Study Center	Campus/ study center	course	enrolled students			No. (7)	Kemarki
lame					fees	fees	No. (7)	Kemarki
ame	Name of the	Address of		TABILITIES OF	Rate of	Total	1% column	II mana a miss
			Name of	Number of		-		
	of the month for	which the fee col	lection relates					
alcin	nent No	Year .	••••••		1	E-mail		•••••••
-	No. with STD co							
	ss with Pia Code							
lame	of the University							
	STATEMEN	T OF FEES CO	LLECTEDA	ND SENT T	O THE REG	ULATORY	COMMISS	ION
				NNEXURE!		A a165.		
ale :	ay July 1	or street the				Name of Sp	oonsoring Bo	dy (with se
- C					IJame	and Desig	nation	
latce					TERRITOR			12 124
					Signat	urc		
							1 - 7914	
(1)	C	2)	(3	)	(4)		(5)	(6)
			of Madhy:		Scheduled /	Area)		
			Departme		university (G			ceposited
			of intent i		establishme proposed pr			Demand Dr deposited
SL No	o. Name of th	e University	Reference		Area of t		Amount	Particulars
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
art	-See Section 6 of	Fahe Madhya Pra	desh Private	Universities (	Sthanaria Avar	n Sanchala	n) Act -2007	
	Commission, B		по осрози			factor of	A Marie San Cas	mex r.egura
Jub	-Certificate for the	on "Timiloument F	und" denositu	ed in the Acco	unt of Madhya	Pradesh Pr	ivate Heivers	tiec Donula
iub								

		1-12431 104142, 14114	3 4 14(1 2000		10 (33
,	Name of the bank along	with its beauth which has	·		
	Demand Druft No	with its branch which has	issued the Demand Drai		
					t go in the south
(	3) Date of issue of Demand	Draft			
C	Certified that the statement of t	fees collection as given her	e is verified by us and i	s correct.	
Date:	•••••	Registra	ır C	hief Finance &	Accounts Office
E	Explanatory Note.—(1) Colum	on No. (4) for which the	Mention name of the cou	rse for which t	he fee is collected
	e student.		may a said to have one		
	2) Column No. (6) "Fees mean ut which is not refundable.	s" collection made by the	university from the stude	ents by whateve	er name it may be
	MADITYA PRADESII PRI	ANNEXUR		MARCHANI WA	Ion. I
		MIE OHIVERSHIES	REGULATORI COM	MISSION, BI	IOPAL
			i'hone	No	
No					
200~~	tatement of fees credited to th	e consolidated fund of the	State of Madhya Prades	sh.	
	Stat	ement of Fee Amount De	eposited in Treasury		
SI. No.	Name of the University	Month in which	Statement Number	Amount	Remarks
(1)	(2)	fees was collected	and year	(0)	(0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		e			Mind and
idal of a					
OLAI OI C	olumn 5: Rs	(in figures) Rs			(in words)
(1)	Name of payee : Governme				
		ent of Madhya Pradesh, Bl	nopal	•••••	
(1)	Name of payee : Governme	ent of Madhya Pradesh, Bl	consolidated fund of the	State	
(1)	Name of payee : Governme	ent of Madhya Pradesh, Bl unt is to be credited in the sich amount is deposited	consolidated fund of the	State	

io mil		thirds winny Kare? Trail gare					
160	Name of the bunk or which th	a cheque is druwn	manya misere yang daga 249 km sa 1,14				
(6)	Traine of the balls of miser and						
(7)	Name and designation of the officer of Regulatory Commission signing the Cheque						
		(1) Signature	(2) Signature				
		Designation					
	Madhya Pradesh Private University						
	Regulatory Commission, Bhopal.						
Exp	planatory Note.—(1) Columns I	No. (4) : Information about the fees	collected in each month and sent to the				
			th in the Form shall be numbered by the				
Concerne	d University as Statement Numb	er. Private University shall also men	tion the year. This statement number and				
year-shou	ld be mentioned in this column in	n the office of the Regulatory Comm	ission 7.				
		ANNEXURE-F					
1	MADHYA PRADESH PRIVAT	B UNIVERSITIES REGULATOR	RY COMMISSION, BLOPAL				
			Phone No				
			Pax No.				
	The street own a fire	and the second and the second	E-Mail				
			Date				
140							
Sub.—Sta	atement of Penal Interest credited	to the consolidated fund of the State	te of Madhya Pradesh.				
Sl. No.	Name of the University	Resolution Number of the	Amount Remarks				
Di. 110.	Trains of the Oniversity	Regulatory Commission	Amount Remarks				
		empowering to impose and					
4	THE RESERVE	collect the penal interest					
(1)	(2)	(3)	(4) (5)				
MARIE							
Total of co	olumn (4) : Rs	(in figures) Rs	(in words)				
(2)			fund of the State				
(3)	Name of the Treasury in which	amount is deposited	••••••				
(4)	No. of Account Payee Cheque						
(5)	Date of issue of Cheque						
(6)	Name of the bank on which the	cheque is drawn					
(7)	Name and designation of the O		signing the Cheque				
			(2) Signature and				
		Designation					
40			Pradesh Private University				
		Regulate	ry Commission, Bhopal.				
	pipe projekt testre	मध्यप्रदेश	त के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,				
			मोहलता श्रीवास्तव, प्रभुख सन्दिव.				